

मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत 05 दोषसिद्ध अभियुक्त 03 वर्ष 03 माह के
कठोर कारावास व ₹5000–5000 के अर्थदंड से हुये दंडित—

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय न्यायालय ए०एस०जे० एएफटीसी १/गैंगेस्टर एक्ट जनपद मऊ द्वारा आज दिनांक ०२-०३-२०२४ को, मु०अ०सं० ९५५/२० धारा ३(१) उ०प्र० गैंगेस्टर एक्ट थाना घोसी में दोषसिद्ध अभियुक्तगण राजू वनवासी पुत्र सुक्खु वनवासी, टिरु वनवासी पुत्र काशी वनवासी, सुक्खु वनवासी पुत्र मथुरा वनवासी निवासी पक्जोपुर थाना बलुआ जनपद चन्दौली, दिपक वनवासी पुत्र मुल्लु वनवासी निवासी निहालपुर थाना केराकत जनपद जौनपुर, मनोज वनवासी पुत्र रामराज वनवासी निवासी दईपुर रामपुर थाना बहरीयावाद जनपद गाजीपुर को कारित अपराध के लिए ०३ वर्ष ०३ माह के कठोर कारावास की सजा व ₹५०००–५००० जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया।